मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 216

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत पक्के घर

216 # श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (पीएमएवाई (यू)) के अंतर्गत, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को पक्के घर प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक बिहार में इस योजना के अंतर्गत कितने घरों का निर्माण किया गया है और कितने घरों का निर्माण किया जाना है; और

(घ) इस योजना के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): दिनांक 25 जून 2015 को शुरु की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत, खासतौर पर 3.00 लाख रूपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) लोगों के लिए पक्के आवास के निर्माण हेतु शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है बशर्ते, लाभार्थी परिवार के पास देश में कहीं भी पक्का आवास नहीं हो। अतः गरीबी रेखा से नीचे संबंध रखने वाले लोग जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं इस योजना के अंतर्गत शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत, अब तक, 1.10 करोड़ लाभार्थियों को आवास संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ): बिहार में, पीएमएवाई-यू के अंतर्गत, अब तक 3,60,703 आवास संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 1,79,830 आवासों के निर्माण का कार्य शुरु किया जा चुका है। कुल 57,792 आवास पूर्ण करके लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत आवासों को वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना है।

******